प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 723/2009

अपीलार्थी: मोहनलाल वर्मा

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनांक 13.4.2012 को सूचीबद्ध ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 723 वर्ष 2009

अपीलार्थी: मोहनलाल वर्मा

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य

अपीलार्थी की ओर से श्री एन.एस. धुरंधर अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से श्री चंद्रेश श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन दाण्डिक अपील

निर्णय

(13.4.2012)

1. अपीलार्थी ने यह अपील अपर सत्र न्यायाधीश, भाटापारा जिला रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 01/2009 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 6.10.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) की धारा 456, 376 और 506 (भाग-II) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है और उसे धारा 456 के अंतर्गत 100 रुपये के जुर्माने के साथ एक वर्ष के साधारण कारावास, धारा 376 के अंतर्गत 100 रुपये के जुर्माने के साथ सात वर्ष के साधारण कारावास और धारा 506 (भाग-II) भा.दं.सं. के अंतर्गत 100 रुपये के जुर्माने के साथ छह माह के साधारण कारावास तथा व्यतिक्रम की शर्तों से दंडादिष्ट किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि दिनांक 26.4.2008 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 पवन कुमार वर्मा (अ.सा.-2) द्वारा यह कथन करते हुए दर्ज कराई गई थी कि वह ग्राम अर्जुनी का निवासी है और लाफार्ज सीमेंट कंपनी, गोपालनगर में कार्यरत है। उसने कथन किया है कि दिनांक 26.4.2008 को प्रातः लगभग 8 बजे जब वह अपने कार्यालय में था, उसकी पत्नी हेमिन वर्मा (अ.सा.-5) ने उसे टेलीफोन पर सूचित किया कि यहाँ का अभियुक्त/अपीलार्थी जो उसके ग्राम का निवासी है चोरी करने के उद्देश्य से बाड़ फांदकर उसके घर में प्रविष्ट हुआ और जब उसकी पत्नी ने उसे देखा तो वह "चोर चोर" कहते हुए चिल्लाई और तत्पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी उसी रास्ते से घटनास्थल से भाग गया। वह तुरंत अपने ग्राम वापस आया जहाँ उसकी पत्नी ने उसे संपूर्ण घटना विस्तार से बताई। दिनांक 25.4.2008 की रात्रि में भोजन करने के पश्चात् उसकी पत्नी अपने पुत्र के साथ घर की छत पर सो रही थी जबकि अभियोक्त्री भूतल के एक कमरे में सो रही थी। रात्रि लगभग 2 बजे उसकी पत्नी ने अभियोक्त्री के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और जब वह उसके कमरे में गई, तो उसने अभियुक्त/अपीलार्थी को उसका मुंह दबाते हुए देखा और उसे देखने के पश्चात् वह घटनास्थल से भाग गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आगे यह कथन किया गया है कि जब उसकी पत्नी चिल्लाई, तो तुकाराम और भीखराम (अ.सा.-3) वहां आए और उसने उन्हें संपूर्ण घटना सुनाई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आगे यह कथन किया गया है कि जब उसने अभियुक्त/अपीलार्थी से पूछताछ की, तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसे सूचित किया कि दीवार से कूदते समय उसके बाएँ टखने में मोच आ गई थी और उसे कृष्ण कुमार साहू नामक एक व्यक्ति द्वारा आयोडेक्स प्रदान किया गया था। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर, अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 456 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया। भीखराम, कृष्ण कुमार साहू, तुकाराम, अभियोक्त्री और पवन कुमार वर्मा के केस डायरी कथन दिनांक 27.4.2008 को लेखबद्ध किए गए थे लेकिन अभियोक्त्री, उसकी माता और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले अर्थात् पवन कुमार वर्मा सहित किसी भी साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि दिनांक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

26.4.2008 को बलात्कार की कोई घटना हुई थी। अन्वेषण के पश्चात्, दिनांक 09.05.2008 को अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 456 के अंतर्गत अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोग-पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् दिनांक 16.5.2008 को पवन कुमार वर्मा द्वारा पुलिस अधीक्षक, रायपुर को एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 यह आरोप लगाते हुए प्रस्तुत की गई कि दिनांक 25/26.4.2008 की दरमियानी रात में उसकी अवयस्क पुत्री (अभियोक्त्री अ.सा.-9) को अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा बलात्कार का शिकार बनाया गया। उक्त रिपोर्ट में आगे यह कथन किया गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी उसके घर में प्रविष्ट हुआ और अभियोक्त्री के मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा ठूंसने के पश्चात् उसके साथ बलात्कार किया। यह आगे कथन किया गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी कृष्ण कुमार के साथ उसके घर में प्रविष्ट हुआ था जो उसकी गतिविधियों पर नज़र रख रहा था। यह कथन किया गया है कि चूंकि अभियोक्त्री को अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा धमकी दी गई थी, उसने बलात्कार की घटना का खुलासा हिचकिचाते हुए किया। यह कथन किया गया है कि दिनांक 26.4.2008 को प्रथम रिपोर्ट करते समय बलात्कार की घटना का भी पुलिस के समक्ष खुलासा किया गया था लेकिन पुलिस थाना अर्जुनी के थाना प्रभारी ने स्थानीय राजनेताओं के दबाव में होने और रिश्वत स्वीकार करने के कारण बलात्कार के प्रकरण को दबा दिया था। यह कथन किया गया है कि आरंभ में भा.दं.सं. की धारा 457 के अंतर्गत एक अपराध दर्ज किया गया था जिसे बाद में काट दिया गया और भा.दं.सं. की धारा 456 के अंतर्गत के रूप में पुनः लिखा गया और तत्पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। लिखित रिपोर्ट में आगे यह कथन किया गया है कि घटना के पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे धमकी दी थी कि वह उसके पूरे परिवार को समाप्त कर देगा और बलात्कार का अपराध पुनः दोहराएगा। लिखित रिपोर्ट में पवन कुमार वर्मा द्वारा यह प्रार्थना की गई थी कि एक गंभीर अपराध को कमतर अपराध में परिवर्तित कर दिया गया है और इसलिए मामले की पुनः जांच की जाए और अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध बलात्कार का प्रकरण भी दर्ज किया जाए। इस लिखित रिपोर्ट में पुलिस अधीक्षक,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

रायपुर द्वारा किए गए पृष्ठांकन से ऐसा प्रतीत होता है कि मामले को आगे की जांच और विधि के अनुसार उचित कार्रवाई करने हेतु एस.डी.ओ. (पी) भाटापारा को संदर्भित किया गया था। अन्वेषण के पश्चात्, दिनांक 11.11.2008 को पुलिस द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत पूरक अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया। अभिलेख से, यह प्रतीत होता है कि दिनांक 17.5.2008 को अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण प्रदर्श पी-1सी के माध्यम से किया गया था, दिनांक 8.7.2008 को अभियोक्त्री, उसकी माता हेमिन बाई (अ.सा.-5) और पिता पवन कुमार वर्मा (अ.सा.-2) के केस डायरी कथन लेखबद्ध किए गए थे जहाँ उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 26.4.2008 को अभियोक्त्री को अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा बलात्कार का शिकार बनाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 456, 376 और 506 (भाग-II) के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन ने 10 साक्षियों का परीक्षण किया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन भी लेखबद्ध किया गया जिसमें उसने अपने विरुद्ध अधिरोपित गए आरोपों से इंकार किया और अपनी निर्दोषता तथा प्रकरण में झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में एक मोहम्मद मजीद (ब.सा.-1) का भी परीक्षण किया गया है।

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को इस निर्णय की कंडिका क्रमांक 1 में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट किया।

5. पुष्पा राठौर (अ.सा.-1) वह साक्षी है जो अभियोक्त्री को चिकित्सीय परीक्षण हेतु ले गई थी और अन्वेषण में सहायता की थी। पवन कुमार वर्मा (अ.सा.-2) जो अभियोक्त्री के पिता हैं, ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 25.4.2008 को रात्रि लगभग 2 बजे अभियुक्त/अपीलार्थी उनके घर में प्रविष्ट हुआ और उनकी पुत्री के साथ बलपूर्वक संभोग किया। उस दिन वह घर पर नहीं था और अपने कार्यस्थल पर गया हुआ था जो पुलिस थाना पामगढ़ जिला जांजगीर के अंतर्गत

आता है जहाँ उसे उसकी पत्नी से टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई कि एक चोर उनके घर में प्रविष्ट हुआ था। जब वह घर पहुँचा, तो उसकी पत्नी ने उसे सूचित किया कि यह अभियुक्त/अपीलार्थी ही है जो अभियोक्त्री के कमरे में प्रविष्ट हुआ था और उसकी गर्दन दबाई थी। तत्पश्चात्, अभियोक्त्री और अपनी पत्नी के साथ वह पुलिस थाने गया और रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर उसने कथन किया है कि रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु वह अपने ग्राम के 2-4 व्यक्तियों को अपने साथ पुलिस थाने ले गया था जहाँ नगर निरीक्षक ने उसे अपनी पत्नी और अभियोक्त्री को लाने के लिए कहा था। फिर वह अभियोक्त्री और अपनी पत्नी को पुलिस थाने ले गया जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 दर्ज की गई। उसने कथन किया है कि रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात् वह गोपाल नगर स्थित अपने कार्यस्थल पर वापस चला गया जहाँ वह 1-2 दिन तक रुका और इस अवधि के दौरान पुलिस द्वारा अन्वेषण किया गया, नजरी नक्शा तैयार किया गया और साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अपने साक्ष्य की कंडिका-7 में उसने कथन किया है कि जब वह अपने कार्यस्थल पर था, तो वह अपनी पत्नी से बात किया करता था और एक दिन उसने उसे सूचित किया कि उसकी पुत्री को अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा बलात्कार का शिकार बनाया गया था और आग्रह करने पर उसने उसकी पत्नी को खुलासा किया कि यह अपीलार्थी ही है जिसने उसके साथ बलात्कार किया लेकिन चूंकि उसे उसके द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसने किसी को घटना का खुलासा नहीं किया। यह सूचना प्राप्त करने के पश्चात् उसने छुट्टी ली, अर्जुनी वापस आया और अभियोक्त्री को यह कहते हुए सांत्वना दी कि वह चिंता न करे और उसे उसकी बुआ के घर ले जाया जाएगा। इससे पूर्व, अभियोक्त्री को पहले ही रायपुर भेज दिया गया था जहाँ वह उससे मिला, संपूर्ण जानकारी एकत्रित की जहाँ उसने उसे सूचित किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे बलात्कार का शिकार बनाया था लेकिन भय के कारण उसने किसी को इसका खुलासा नहीं किया। अभियोक्त्री से यह सूचना प्राप्त करने के पश्चात् वह जी.एल. वर्मा नामक एक अधिवक्ता के साथ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के कार्यालय में गया और चूंकि पुलिस अधीक्षक अवकाश पर थे, वह लाल उमेन्द्र सिंह

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नामक व्यक्ति से मिला और उन्हें संपूर्ण घटना की जानकारी दी और फिर उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 दी गई। उक्त लिखित रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, रायपुर द्वारा उसे यह कहते हुए वापस कर दी गई कि जांच एस.डी.ओ. (पी) भाटापारा द्वारा की जाएगी। तत्पश्चात् उसने एस.डी.ओ.(पी), भाटापारा से संपर्क किया और उन्हें लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 दिखाई। एस.डी.ओ.(पी), भाटापारा ने उसका, उसकी पत्नी और अभियोक्त्री का कथन लेखबद्ध किया और फिर उन्हें वापस जाने के लिए कहा। तत्पश्चात् उसने कथन किया है कि अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 12 वर्ष थी क्योंकि उसकी कक्षा V की अंकसूची के अनुसार उसकी जन्म तिथि दिनांक 21.10.1995 है। उसने कथन किया है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि के संबंध में पुलिस द्वारा कोई भी दस्तावेज़ जब्त नहीं किया गया था और उसने कक्षा-V की उसकी अंकसूची के आधार पर इसका खुलासा किया था जिसे उसके द्वारा लाया गया था जैसा कि शासकीय अधिवक्ता द्वारा पूछा गया था। उसने कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी उसका निकटतम पड़ोसी था और दो घरों के बीच एक संकरी गली गुजरती है। उसने कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी उक्त गली में कचरा फेंका करता था लेकिन उसने इस बात से इंकार किया है कि इसके कारण कोई विवाद था। उसने स्वीकार किया है कि दिनांक 26.04.2008 की प्रथम रिपोर्ट केवल चोरी के संबंध में थी। उसने कथन किया है कि दिनांक 26.04.2008 को ही वह अपनी पुत्री पर बलात्कार किए जाने के बारे में पुलिस थाना भाटापारा में रिपोर्ट दर्ज कराने गया था। उसने स्वीकार किया है कि उसका साला गिरधारीलाल एक अधिवक्ता है लेकिन उसने इस बात से इंकार किया है कि वह समय-समय पर उसकी सलाह लिया करता था। उसने कथन किया है कि उसकी पुत्री को उसके कमरे में बलात्कार का शिकार बनाया गया था और उसके द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट में पुलिस के समक्ष इसका खुलासा किया गया था। प्रथम रिपोर्ट दर्ज कराते समय उसके मजीद खान, अखिलेश और आदिल के साथ पुलिस थाना जाने का कथन किया गया है। भीखराम (अ.सा.-3) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

है और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। कृष्ण कुमार साहू (अ.सा.-4) ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

श्रीमती हेमिन बाई (अ.सा.-5) जो अभियोक्त्री की माता हैं, ने कथन किया है कि घटना की तिथि पर जब वह अपने घर की छत पर सो रही थी और उसकी पुत्री भूतल में स्थित कमरे में, रात्रि लगभग 2 बजे उसने अपनी पुत्री की आवाज़ सुनी और जब वह उसके कमरे में गई तो उसने देखा कि अभियुक्त/अपीलार्थी वहां से भाग रहा था। तत्पश्चात् उसने अभियोक्त्री से पूछताछ की जो उस समय दर्द से रो रही थी और कुछ सामान्य होने के पश्चात्, उसने उसे सूचित किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे पकड़ लिया था, उसके मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा ठूंस दिया था और फिर उसने अपने पति को बुलाया और उन्हें संपूर्ण घटना की सूचना दी और उन्हें तुरंत वापस आने के लिए भी कहा। उसने कथन किया है कि जब उसके बचाव के लिए कोई नहीं आया तो उसने तुकाराम को टेलीफोन किया जो भीखराम के साथ वहां आया और फिर घटना का खुलासा उन्हें किया गया। उसने आगे कथन किया है कि उसके कथन में कुछ विसंगतियां समय बीतने के कारण हो सकती हैं। उसके अनुसार, पूछे जाने पर अभियोक्त्री ने उसे सूचित किया कि उसके कपड़े उतारने के पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे बलात्कार का शिकार बनाया और फिर उसके पति के आने के पश्चात् घटना उन्हें सुनाई गई और फिर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। तथापि, उसने इस बात से इंकार किया है कि उसके परिवार और अभियुक्त/अपीलार्थी के परिवार के बीच कोई विवाद था। उसने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को केवल चोरी की घटना के बारे में यह कहते हुए सूचित किया था कि अभियुक्त/अपीलार्थी उसके घर में प्रविष्ट हुआ था। तत्पश्चात्, उसने कथन किया है कि उसका कथन एस.डी.ओ. (पी) भाटापारा द्वारा लेखबद्ध किया गया था। उसके साक्ष्य की कंडिकाओं 26 से 29 में महत्वपूर्ण विरोधाभास और लोप हैं।

डॉ. अनीता वर्मा (अ.सा.-6) वह साक्षी हैं जिन्होंने प्रदर्श पी-1सी के माध्यम से अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण किया था, जिन्होंने कथन किया है कि उसके द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

थे, उसके शरीर पर कोई बाहरी या भीतरी चोट नहीं देखी गई और वह संभोग की अभ्यस्त थी। उन्होंने आगे कथन किया है कि अभियोक्त्री के साथ हाल ही में हुए संभोग के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। उन्होंने कथन किया है कि अभियोक्त्री की आयु 12 वर्ष उनके द्वारा अभियोक्त्री और उसकी माता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दर्ज की गई थी।

डॉ. डी.पी. वर्मा (अ.सा.-7) वह साक्षी हैं जिन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी का चिकित्सीय परीक्षण किया था, ने कथन किया है कि उन्होंने उसके बाएँ टखने में मोच देखी।

जी.एस. शुक्ला (अ.सा.-8) वह साक्षी हैं जिन्होंने बलात्कार किए जाने के संबंध में बाद की घटना का अन्वेषण किया था और उस तरीके के बारे में कथन किया है जिससे उनके द्वारा अन्वेषण किया गया था।

अंजू वर्मा (अ.सा.-9) जो यहाँ अभियोक्त्री है, ने कथन किया है कि वह अभियुक्त/अपीलार्थी को जानती थी और घटना की तिथि पर जब वह अपने कमरे में सो रही थी और उसकी माता छत पर, अभियुक्त/अपीलार्थी उसके कमरे में प्रविष्ट हुआ, उसके ऊपर चढ़ गया, उसके स्तनों को दबाना आरंभ कर दिया, उसकी सलवार और अंडरवियर उतार दी और अपने जननांग को उसके जननांग में प्रविष्ट कर दिया। जब उसने अपनी माता को बुलाने के लिए अपनी आवाज़ उठाई, तो अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसके मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा ठूंस दिया था। अपराध करने के पश्चात् जब अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसके मुंह से कपड़ा निकाला, तो उसने पुनः रोकर अपनी माता को बुलाया जो उस समय छत पर थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी माता उसके पास आई और फिर उसने उसे घटना सुनाई। अपने साक्ष्य की कंडिका 2 में इस साक्षी ने कथन किया है कि उसने अपनी माता को केवल यह बताया था कि अपीलार्थी चोरी करने उसके कमरे में आया था और उसके स्तनों को दबाया था और यह कि उसके भाई द्वारा सूचित किए जाने पर, अगले दिन उसके पिता वापस आए और फिर उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसने कथन किया है कि उसका कथन पुलिस द्वारा लेखबद्ध किया गया था लेकिन अपीलार्थी द्वारा उसे और उसकी माता को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

समाप्त करने की दी गई धमकियों के कारण (उसने पूर्ण खुलासा नहीं किया)। इस साक्षी के अनुसार, चूंकि वह प्रतिदिन रोया करती थी, उसकी माता ने उससे पूछा था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी, उसने 11 दिन पश्चात् उसे संपूर्ण घटना का खुलासा किया और फिर उसकी माता और पिता द्वारा दूसरी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रतिपरीक्षा में, उसने कथन किया है कि वह अपनी आयु के बारे में अवगत नहीं थी लेकिन उसने इस बात से इंकार किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी उसके घर आया करता था। उसने कथन किया है कि उसने अपनी आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा उसके मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा ठूंस दिया गया था। उसने आगे यह तथ्य स्वीकार किया है कि जब पुलिस द्वारा उसका कथन लेखबद्ध किया गया था, तो उसने संपूर्ण घटना का खुलासा नहीं किया था लेकिन फिर उसने कथन किया है कि उसने पुलिस को बलात्कार की घटना का खुलासा किया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

एस.एन. सिदार (अ.सा.-10) धारा 456 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रथम घटना के अन्वेषण अधिकारी हैं जिन्होंने साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि यह कहना गलत है कि कथन लेखबद्ध करते समय, अभियोक्त्री डरी हुई थी या भय में थी। उन्होंने अभियोक्त्री से विशेष रूप से पूछा था कि क्या हुआ था लेकिन उसने कभी बलात्कार की घटना का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कथन किया है कि शिकायतकर्ता पवन कुमार वर्मा यह सूचित करने के लिए कभी पुलिस थाने नहीं आए कि उनकी पुत्री को अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा बलात्कार का शिकार बनाया गया था।

6. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्म परीक्षण यह प्रकट करता है कि दिनांक 26.4.2008 को अपीलार्थी अभियोक्त्री के घर में प्रविष्ट हुआ था और उसे देखकर उसने अपनी आवाज़ उठाई जिसे सुनकर उसकी माता जाग गई और उसने अभियुक्त/अपीलार्थी को वहां से भागते हुए देखा। इस घटना की सूचना तुरंत अभियोक्त्री के पिता को फोन पर दी गई और दूसरे दिन जब वह अपने कार्यस्थल से लौटा, तो प्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 दर्ज की गई और अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 456 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया। इस

घटना के संबंध में पुलिस ने दिनांक 27.4.2008 को पवन कुमार वर्मा (अ.सा.-2), हेमिन बाई (अ.सा.-5), अभियोक्त्री (अ.सा.-9) और एक तुकाराम के केस डायरी कथन लेखबद्ध किए लेकिन उनमें से किसी ने भी यह कथन नहीं किया है कि अभियोक्त्री को अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा बलात्कार का शिकार बनाया गया था। इस प्रकार पवन कुमार वर्मा द्वारा दर्ज कराई गई दूसरी लिखित रिपोर्ट संदेहास्पद हो जाती है जहाँ उसने कथन किया है कि प्रथम रिपोर्ट दर्ज कराते समय उसने अपनी पुत्री पर बलात्कार की घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया था लेकिन स्थानीय नेताओं के राजनीतिक दबाव में अभियुक्त/अपीलार्थी की सहायता करने के लिए और रिश्वत स्वीकार करके, गंभीर अपराध को गैर-गंभीर अपराध में परिवर्तित कर दिया गया है और यहां तक कि धारा 457 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध को काट दिया गया है और धारा 456 भा.दं.सं. के अंतर्गत के रूप में प्रकट किया गया है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय में अपने कथन में अभियोक्त्री ने कथन किया है कि आरंभ में उसने अपनी माता और पिता को बलात्कार की घटना के बारे में सूचित नहीं किया था लेकिन चूंकि वह प्रतिदिन रोती थी, उसकी माता ने उससे पूछा था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी, उसने अपनी माता को इसका खुलासा किया। यहाँ फिर से, अभियोक्त्री का न्यायालयीन कथन शिकायतकर्ता पवन कुमार वर्मा (अ.सा.-2) द्वारा दर्ज कराई गई बाद की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 के विपरीत जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रथम प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.-10) ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियोक्त्री ने उन्हें कभी भी अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा बलात्कार का शिकार बनाए जाने के बारे में सूचित नहीं किया। उन्होंने आगे कथन किया है कि अभियोक्त्री का कथन लेखबद्ध करते समय वह डरी हुई या भय में नहीं थी। यह कथन फिर से अभियोक्त्री के कथन के बारे में संदेह उत्पन्न करता है जहाँ उसने कथन किया है कि भय के कारण या डरे होने के कारण उसने तुरंत बलात्कार की घटना का खुलासा नहीं किया। यहां तक कि पवन कुमार वर्मा (अ.सा.-2) का न्यायालयीन कथन भी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 के विपरीत है। न्यायालयीन कथन में आरंभ में उसने प्रथम घटना के बारे में कथन किया है

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

और फिर कथन किया है कि प्रथम रिपोर्ट दर्ज कराने और केस डायरी कथन लेखबद्ध करने के पश्चात् वह अपने कार्यस्थल पर वापस चला गया जहाँ वह अपनी पत्नी से टेलीफोन पर बात करता था और एक दिन उसने उसे सूचित किया था कि अभियोक्त्री को अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा बलात्कार का शिकार बनाया गया था और वह रोती थी। उसने आगे कथन किया है कि चूंकि अभियोक्त्री डरी हुई थी उसने घटना का खुलासा नहीं किया लेकिन अन्वेषण अधिकारी के कथन के अनुसार अभियोक्त्री मन की ऐसी किसी भी स्थिति में नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण दर्शाता है कि उसके शरीर पर कोई भीतरी या बाहरी चोट नहीं पाई गई थी, कि उसका हाइमन पुराना फटा हुआ था, उसकी योनि में दो उंगलियां आसानी से प्रविष्ट हो गईं और यह कि वह संभोग की अभ्यस्त थी और हाल ही में हुए संभोग के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। बाद की लिखित रिपोर्ट जो अभियोक्त्री के पिता अर्थात् पवन कुमार वर्मा (अ.सा.-2) द्वारा दर्ज कराई गई थी, इस न्यायालय के मन में संदेह उत्पन्न करती है क्योंकि यद्यपि पुलिस प्राधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न आरोप अधिरोपित गए हैं, न्यायालय में उसके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसके द्वारा दर्ज कराई गई दूसरी रिपोर्ट अभियोक्त्री, उसकी माता और अन्य साक्षियों के कथन के विपरीत जाती है। बलात्कार का आरोप लगाने में हुए अत्यधिक विलंब को भी इस साक्षी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अभियोक्त्री पर बलात्कार किया जाना अभी भी एक संदिग्ध कहानी बनी हुई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. इस प्रकार साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके अभियोक्त्री पर बलात्कार किए जाने के संबंध में अपना मामला साबित करने में सक्षम नहीं रहा है और ऐसा होने के कारण अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है। तदनुसार, इस सीमा तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए गए निष्कर्षों को कायम नहीं रखा जा सकता। तथापि, चूंकि अभियोक्त्री के घर में अपीलार्थी द्वारा प्रविष्ट होने को अभियोजन द्वारा विधिवत साबित कर दिया गया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लेखबद्ध की गई भा.दं.सं. की धारा 456 और 506 (भाग-II) के अंतर्गत उसकी दोषसिद्धि न्यायोचित और उचित प्रतीत होती है।

8. तदनुसार, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। धारा 376 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि अपास्त की जाती है और अपीलार्थी को उसके विरुद्ध अधिरोपित गए उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। तथापि, भा.दं.सं. की धारा 456 और 506 (भाग-II) के अंतर्गत उसकी दोषसिद्धि एतद्द्वारा कायम रखी जाती है।

9. चूंकि अपीलार्थी गिरफ्तारी की तिथि से ही पहले से जेल में है अर्थात् और इस प्रकार उसने भा.दं.सं. की धारा 456 और 506 (भाग-II) के अंतर्गत संपूर्ण दंडादेश पूरा कर लिया है, यदि किसी अन्य प्रकरण में आवश्यक न हो तो उसे शीघ्र मुक्त कर दिया जाए।

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By **Shaantam Patil**